न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न० 10 / 2025 तारीखरजू:- 5/3/25 2025/37

उनवान:- जसवीर बनाम रामस्वरूप वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनाक	फर्द अहकाम	
5/3/25	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायल को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए **गैरसायलान को आगामी पेशी** तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 328/0.39, 329/0.34, 330/0.21, 331/0.51 कुल किता 4 कुल रकवा 1.45 है0 स्थित ग्राम बालावास तहसील टोडाभीम मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.04.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	963-68 5/3/25
8/4/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी नं० 1 लगायत 6 की ओर से मीमो पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। एडवोकेट राजकार्य से बाहर है। उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सी पी सी पेश किया नकल प्रार्थी वकील को दिलाई गई। जो शामिल पत्रावली रहे। वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 16.5.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

दिनांक	फर्द अहकाम
16/5/25 रामस्वरूप केशवसिंह [thumbprint] (signature)	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप० अप्रार्थी नं० 1 पंचायत 5 की ओर से श्री रामचरण शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। वास्ते जवाब पुनः प्रार्थी वकील को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 का जवाब पेश करने की हिदायत दी गई। वास्ते जवाब दिनांक 13/6/25 को पेश हो। (signature)
13/6/25	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। मतानुसार दिनांक 16/7/25 को पेश हो।
16/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप० प्रतिवादी वकील जवाब पेश करने की हिदायत दी गई। पुनः वादी वकील को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम जाब्ता दिवानी का जवाब पेश करने की हिदायत दी गई। वास्ते जवाब दिनांक 22/8/25 को पेश हो। (signature)
22/8/25	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली मतानुसार दिनांक 23/9/25 को पेश हो। (signature)
23/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप० वास्ते जवाब पुनः वादी वकील को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाब्ता दिवानी का जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया गया। वास्ते जवाब दिनांक 10.10.25 को पेश हो (signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

दिनांक	फर्द अहकाम	
10.11	अवकाश होने के कारण।	
13.11	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष हाजिर उपा वादी वकील को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाब्ता दिवानी का जवाब पेश करने के लिए अंतिम से अंतिम मौका दिया गया। वादी जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.25 को पेश हो।	
28.11	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष हाजिर उपा वादी जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.25 को पेश हो।	
12/12/25	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी मीटिंग में पधारे हैं। पीठासीन अधिकारी....करौली.... पत्रावली मतानुसार दिनांक 16/1/26 को पेश हो।	
16.1.26	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगित रखा गया है। मतानुसार दिनांक 13.2.26 को पेश हो।	
13.2.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज दिलाई गई। इसके बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं इसलिए प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 अदमपैरवी निरस्त किया जाता है। अदमपैरवी। पत्रावली फैसल शुमार होकर न्यायालय के रिकॉर्ड में शामिल हो।	DD

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली